समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला नजारत शाखा)

<u>अल्पकालीन निविदा संख्या–01/2019–20</u>

समाहरणालय, मुंगेर एवं इससे संबद्ध कार्यालयों के उपयोग हेतु भाड़े के चार पहिया वाहन यथा – (1). बोलेरो/ सूमो/ मार्शल/समकक्षीय वाहन (2). जाइलो/ स्कॉर्पियो/ क्वालिस/ टवेरा/समकक्षीय वाहन एवं (3).इनोवा/ सफारी/हेक्सा/समकक्षीय वाहन के मासिक दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी अपने वाहन के सभी कागजात (निबंधन संख्या, बीमा की रसीद, जी0एस0टी0, अद्यतन कर भुगतान प्रमाण पत्र आदि) के साथ दिनांक 22.06.2019 के 2.00 बजे अपराहन तक अपनी निविदा जिला नजारत शाखा, मुंगेर में दे सकते हैं। उसी दिन 03.00 बजे अपराहन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लिफाफा में देंगे।

<u>तकनीकी निविदा की शर्त्ते</u> :–

1. वाहन का वाणिज्यिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का बीमा अद्यतन होना चाहिए।
3. वाहन का अद्यतन कर भुगतान होना चाहिए।
4. वाहन 2015 अथवा इसके बाद का होना चाहिए। 2015 के पहले का वाहन नहीं लिया जाएगा।
5. निविदादाता को 10,000 रू0 (दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता अपने पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे।
7. निविदादाता द्वारा अद्यतन आयकर रिटर्न (कर निर्धारण वर्ष 2018–19) की प्रति संलग्न की जाएगी।
8. निविदादाता यदि एजेंसी है तो जी0एस0टी0 निबंधन एवं अद्यतन रिटर्न की प्रति संलग्न की जाए।
9. निविदादाता को काली सूची में शामिल न होने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

अन्य शर्त्ते :–

1. भाड़े पर लिए जाने वाले वाहन का दैनिक रख–रखाव वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा।
2. भाड़े पर वाहन लिए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर परिवहन पदाधिकारी,मुंगेर से वाहन मालिक को वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।
3. वाहन के भाड़े की दर प्रतिमाह के आधार पर चालक रहित एवं चालक सहित, ईंधन सहित एवं ईंधन रहित के आधार पर अंकित करना होगा।
4. ईंधन सहित दर में प्रतिमाह 1800 km तक गाड़ी का परिचालन होने तक ईंधन पर होने वाला व्यय वाहन मालिक द्वारा देय होगा। इससे अधिक परिचालन होने पर 7.00 (सात) रूपये प्रति किलो मीटर की दर से अतिरिक्त राशि देय होगा। ईंधन रहित दर मे ईंधन की आपूर्त्ति कार्यालय द्वारा की जाएगी।
5. वाहन 24 घंटे जिला प्रशासन / संबंधित कार्यालय के अधीन रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक / एजेन्सी का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस माह के भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. उपर्युक्त शर्त्तों के अनुरूप मासिक न्यूनतम दरप्रदाता निविदादाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
7. सरकारी कार्यालय में वाहन आपूर्त्ति किये जाने संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र एवं स्थानीय आपूर्त्तिकर्त्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन / स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
10. नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती श्रोत पर की जायेगी।
11. निविदा दिनांक 22.06.2019 के 02.00 बजे अपराहन तक जिला नजारत शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
12. निविदा को जिले के वेबसाईट munger.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

29/05/19

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

वाहन का विवरण

क्रमांक	वाहन के विनिर्माता कंपनी का नाम	वाहन का प्रकार एवं मॉडल संख्या	क्रय वर्ष	निबंधन संख्या	व्यवसायिक रूप से निबंधित है या नहीं?	बीमा की वैधता अवधि	कर भुगतान की वैद्यता अवधि	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.	9.
1.								
2.								

निविदादाता का हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा हेतु प्रपत्र

निविदाता का नाम	गाड़ी का प्रकार	मासिक भाड़े की दर रूपये में (ईंधन रहित)		मासिक भाड़े की दर रूपये में (ईंधन सहित)		अभ्युक्ति
		चालक रहित	चालक सहित	चालक रहित	चालक सहित	
	बोलेरो / सूमो / मार्शल एवं समकक्षीय वाहन					
	जाइलो / स्कॉर्पियो / क्वालिस / टवेरा एवं समकक्षीय वाहन					
	इनोवा / सफारी / हेक्सा एवं समकक्षीय वाहन					

निविदादाता का हस्ताक्षर